कार्यालय जिला पंचायत, गोरखपुर

निविदा सूचना/शर्तें

1. निम्नांकित कार्यों के लिये आइटमवाईज टेण्डर आमन्त्रित किये जाते हैं जो कार्यालय जिला पंचायत, गोरखपुर के ई–मेल एड्रेस zp_gkp@rediffmail.com पर ई–मेल अथवा पंजीकृत डाक के माध्यम से दिनांक 15.11.2011 को 2.00 बजे दिन तक अवश्य आ जाना चाहिए।

2. टेण्डर हेतु टेण्डर फार्म दिनांक 14.11.2011 को नियमानुसार 10.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक कार्यालय जिला पंचायत, गोरखपुर से क्रय की जा सकती है अथवा शासकीय वेबसाइट http://gorakhpur.nic.in के माध्यम से डाउनलोड किया जा सकता है।

3. मु0–5.00 लाख रु0 तक के कार्य का टेण्डर फार्म मूल्य मु0–250.00 रुपये प्रति फार्म एवं मु0–5.00 लाख से ऊपर के कार्यों का टेण्डर फार्म मूल्य–500.00 रुपये प्रति फार्म निर्धारित है।

4. ई–मेल के माध्यम से टेण्डर देने वाले टेण्डरदाता को चाहिये कि बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा–गाँधी गली, गोलघर, गोरखपुर में इस जिला पंचायत के जिलानिधि खाता संख्या–718010110001605 में शुल्क जमा कर अथवा अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, गोरखपुर के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट बनवाकर टेण्डर फार्म के साथ संलग्न करें। बैंक चालान/ बैंक ड्राफ्ट नम्बर टेण्डर फार्म पर अंकित करेंगे तथा टेण्डर खुलते समय टेण्डर समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। टेण्डर फार्म शुल्क जमा किये बगैर कोई टेण्डर मान्य नहीं होगा।

5. टेण्डर जिला पंचायत, गोरखपुर के टेण्डर फार्म पर देना होगा। बिना जिला पंचायत के टेण्डर फार्म पर दिये गये टेण्डर पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

6. टेण्डर दिनांक 15.11.2011 को अपरान्ह 2.00 बजे तक जिला पंचायत, गोरखपुर के ई–मेल एड्रेस "zp_gkp@rediffmail.com" पर ई–मेल के माध्यम से अथवा जिला पंचायत के मुहरबन्द टेण्डर बाक्स या मुहरबन्द रजिस्ट्रीशुदा लिफाफा में देना होगा। उक्त के अतिरिक्त अन्य माध्यम से प्राप्त टेण्डरों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। रजिस्ट्रीशुदा लिफाफा भी निश्चित समय के अन्दर कार्यालय में पहुँच जाना चाहिये। टेण्डर उक्त तिथि में ही अपरान्ह 2.30 बजे उपस्थित टेण्डरदाताओं एवं टेण्डर समिति के समक्ष खोला जायेगा।

7. टेण्डर देने वाले व्यक्ति को चाहिये कि टेण्डर देने के पहले कार्य के सम्बन्ध में शरायत कार्यालय के समय कार्यालय में देख लेवें। बाद में किसी प्रकार की आपत्ति पर कोई विचार नहीं होगा अथवा टेण्डर विचारणीय न होगा।

8. प्रत्येक टेण्डर के साथ कार्य मूल्य पर 2% (दो प्रतिशत) अर्नेस्टमनी (सत्यंकार) की धनराशि बजरिये राष्ट्रीय बचत–पत्र/किसान विकास पत्र/केवल राष्ट्रीयकृत बैंको द्वारा निर्गत सावधि जमा पत्र या डाकघर बचत बैंक में जमा की जायेगी। ये प्रतिभूतियाँ अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, गोरखपुर के पदनाम से बन्धक होना अनिवार्य है। डाकघर बचत बैंक में जमा धनराशि का पासबुक यथा स्थिति अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, गोरखपुर के पक्ष में बन्धक रखी जायेगी। ई–मेल के माध्यम से टेण्डर डालने वाले टेण्डरदाता को चाहिए कि टेण्डर फार्म में अर्नेस्टमनी की धनराशि, एन0एस0सी0/के0वी0पी0/एफ0डी0आर0/डाकघर बचत पासबुक संख्या का स्पष्ट उल्लेख करें तथा टेण्डर खुलते समय टेण्डर समिति के समक्ष उक्त प्रतिभूति को प्रस्तुत करें। अन्यथा टेण्डर विचारणीय न होगा। टेण्डर देने वाले को चाहिए कि टेण्डर फार्म में अर्नेस्टमनी जमा रकम का स्पष्ट उल्लेख, जमा करने का प्रकार, तिथि रकम सहित कर दे।

9. निविदा के साथ अर्नेस्टमनी की धनराशि मूलरुप में लगाना अनिवार्य होगा। छायाप्रति मान्य नहीं होगा। सत्यंकार राशि जिलानिधि में भी नकद जमा किया जा सकता है।

10. किसी भी टेण्डर को बगैर कोई कारण बताये स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का सर्वाधिकार सक्षम प्राधिकारी, जिला पंचायत, गोरखपुर में निहित होगा।

11. लिखे हुये संख्या में बाद में कोई ढुलाई आदि किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की जा सकती है।